न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या –01/2019 (प्रार्थना पत्र)

श्रीमति काली बाई पत्नि गंगाराम गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मोरूकलां, दरा स्टेशन, तहसील कनवास, जिला कोटा राज0

––प्रार्थी.

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी (कोटा)
2. नेशन हाइवे अथॉरिटी, तलवण्डी, कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

उपस्थिति

1. श्री संजीद अहमद, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :–10.07.2019

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड दिनांक 14.09.2018 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे की औद्योगिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरित भूमि ख0नं0 62 रकबा 0.14 हे0 वाके माल ग्राम मोरूकलां तहसील कनवास में से 0.1108 हे0 भूमि को उक्त विज्ञप्ति के अनुसार नेशनल हाइवे वर्तमान नम्बर 52 के लिये अधिगृहित की गई है किंतु कब्जा अभी तक प्रार्थीया का ही है इस प्रकिया के तहत प्रार्थीया को उसकी आराजी का मुआवजा राशि 6,28,111/– तय कर दी गई, इसकी गणना मूल दर 13,75,500/– प्रति हेक्टेयर से की गई है । प्रार्थीया की जमीन का क्षैत्रफल 11980/– वर्गफुट है, जबकि प्रार्थीया की भूमि ओद्योगिक भूमि है । प्रार्थीया की भूमि वाले क्षैत्र से औद्योगिक भूमि की डी.ल.सी दर निर्धारित नहीं है, परंतु इस भूमि के पास की लगी हुई पटवार क्षैत्र सुकेत की व्यवसायिक दर 315/– प्रति वर्गफुट है । इसके हिसाब से गणना करने पर प्रर्थीया की बेसिक दर 315 X 11980 = 37,73,700.00 रूपये बनती है तथा इस पर देय अन्य लाभ अलग होते है, परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो गणना की गई है, वह पूरी तरह से गलत है । इसके प्रमाण के लिये उस क्षैत्र की डी.एल.सी. की दर का प्रमाण पेश है । इसके अलावा भूमि अवाप्ति अधिकारी का भी यह दायित्व था कि इस भूमि के आस पास की व्यवसायिक औद्योगिक क्षैत्र की गणना प्राप्त करके मुआवजा तय करते । इसके अलावा अवाप्तिशुदा भूमि पर की बाउण्ड्रीवॉल, सर्वेन्ट क्वार्टर का मुआवजा लगभग 3 लाख रूपया होता है वह भी नहीं दिलवाया गया । इसके अलावा प्रार्थीया की भूमि पर जाने का रास्ता भी नहीं छोडा गया, क्योंकि अवाप्तिशुदा जमीन पर प्रार्थीया की भूमि से करीब 15 फुट पर उंचा ओवरब्रिज बन जायेगा, उसमें साईट लेन का प्रावधान भी नहीं रखा गया है । प्रार्थीया को अवाप्ति की सूचना व राशि आज तक प्राप्त नहीं

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

गयी राशि हितधारकों के अनुसार प्रार्थी नं. 2 द्वारा जमा करवा दी गई । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम की धारा 3 जी(5) आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत कर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 62 में से 0.1108 हे0 भूमि के अवाप्ति का मुआवजा कम निर्धारण बाबत तथ्य अंकित किया है । तथा यह भी तथ्य अंकित किया है कि प्रार्थीया की भूमि वाले क्षैत्र से औद्योगिक भूमि की डी.एल.सी. दर निर्धारित नहीं होने से इस भूमि के पास की लगी हुई पटवार क्षैत्र सुकेत की व्यवसायिक दर अनुसार गणना करने बाबत कथन किया, किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई आदेश या कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके की पास के औद्योगिक क्षैत्र की की डी0एल0सी0 दर से गणना की जा सकें, अपितु भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 14.9.2018 अनुसार ग्राम मोरूकलां की डी0एल0सी0 जो तहसीलदार एवं उप पंजीयकन कनवास से प्राप्त कर वित्त विभाग (टेक्स डिविजन) जयपुर के नोटिफिकेशन 9 मार्च 2015 में प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप डी0एल0सी0 से गणना कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(48) एवं भूमि अर्जन पुर्नवांसन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (राजस्थान)

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner